



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम-  
मिनिरल कम्पनी)  
बीज भवन, पूसा परिसर  
नई दिल्ली -110 012  
फैक्स- 011- 25846462  
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)  
फैक्स-01509-238027

**NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED**  
(A Government of India Undertaking)  
(CIN : U74899DL1963GO1003913)

**BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX**  
**NEW DELHI-110 012 (INDIA)**

Website: [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com)

PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

e-mail – [nsc@indiaseeds.com](mailto:nsc@indiaseeds.com)

**CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH**

PHONES: ( 01509-238027, 238056 (Office) Tele – Fax :- 01509-238027

e-mail – [directorcsfsg@gmail.com](mailto:directorcsfsg@gmail.com)

[csf.sardargarh@indiaseeds.com](mailto:csf.sardargarh@indiaseeds.com)

### निविदा सूचना

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सरदारगढ़ (राज.) फार्म (वर्ष 2018–19) खण्ड 4 व 5 क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्रों की फसलों एवं अन्य चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु पंजीकृत संस्थाओं से ऑन-लाइन निविदा आमंत्रित करती है। निविदादाता निविदा फार्म रु 500/- (Non-refundable) शुल्क का भुगतान कर किसी भी कार्य दिवस के दिन दिनांक 07 अप्रैल 2018 से 27 अप्रैल 2018 (समय 1000 बजे से सायं 0500 बजे के बीच) तक उपरोक्त पता से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म निगम की वेबसाइट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड किये गये निविदा फार्म के साथ निविदा शुल्क रु 500/- तथा निविदा के साथ अमानत राशि रु 50000/- (प्रति खण्ड) का डिमाण्ड ड्रॉपट जो National Seeds Corporation Ltd, Sardargarh के नाम जारी एवं देय सूरतगढ़ पर हो लगाना अनिवार्य है।

भरी हुई निविदा ऑन-लाइन जमा करने की अंतिम दिनांक 28.04.2018 समय दिन के 1100 बजे तक है। शुद्धिपत्र केवल निगम की वेबसाइट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) पर डाला जायेगा। बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार फार्म निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।

निदेशक (फार्म)

| Tender Summary   |   |
|--|---|
| Date of issue of NIT   | 07.04.2018  |
| Tender Document Download Start Date/time                             | 07.04.2018 10:00 AM   |
| Tender Document Download End Date/time                               | 27.04.2018 05:00 PM   |
| Date and time for submission of online bid                           | 07.04.2018 10:00 AM   |
| Date and time of opening of Technical Bid in Online mode at NSC, HQ. | 28.04.2018 11:00 AM   |
| Tender Fee   | Rs 500(Five Hundred Only)   |
| Refer point no. 5 of T & C   |   |
| EMD)   | Per Block Rs 50000(Fifty Thousand Only)   |
| Refer point no. 5 of T & C   |   |
| Address for Communication  | Head of Farm, Central State Farm, Sardargarh<br>National Seeds Corporation Ltd-337051 |
| Contact Person (with Phone No & E-Mail)                              | Ramnath Tiwari Officer(HR) Mob 7042057291   |

पार्टियों द्वारा निविदा दाखिल करते समय ध्यान देने योग्य बातें एवं जमा किये जानेवाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों का विवरण। शेष जानकारी एवं जमा किये जानेवाले अन्य दस्तावेज निविदा के नियम एवं शर्तों के अनुरूप जमा करें

➤ ध्यान देने योग्य बातें

1. तकनीकी निविदा
2. वित्तीय निविदा
3. वित्तीय एवं तकनीकी निविदा ऑन-लाइन जमा करनी हैं।

➤ तकनीकी निविदा के साथ जमा की जानेवाले दस्तावेज

1. निविदा शुल्क रु 500/- का डी. डी./पावती।
2. अमानत राशि की डी. डी. रु 50000/- प्रति खण्ड के लिये अलग-अलग।
3. PSRA 2005 लाइसेंस की प्रति /शपथ पत्र रु. 100/- स्टॉम्प पेपर पर (duly notarized) निविदा के नियम एवं शर्त के क्लॉज संख्या-5 के अनुरूप।
4. सुरक्षा कार्य हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने का 02 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र।
5. आयकर वैलेड (return) 2015-16, 2016-17।
6. फार्म/पार्टी की पंजीकरण संख्या।
7. लेबर लाइसेंस की प्रति पूर्व कराये गये कार्य हेतु।
8. जे.एस.टी. पंजीकरण
9. ई.पी.एफ/ई.एस.आई. पंजीकरण
10. लेबर विभाग में फर्म पंजीकरण
11. पैन कार्ड पंजीकरण
12. 2 पासपोर्ट फोटो।
13. शपथ पत्र काली सूची में न होने का।
14. पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र।
15. वार्षिक टर्न ओवर 50 लाख वर्ष 2015-16, 2016-17के लिये

नोट :-वित्तीय निविदा बिड के साथ कोई भी दस्तावेज जमा न करें केवल वित्तीय निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही जमा करें।

## केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़

### नियम व शर्तें

फार्म संपदा, खड़ी फसल, संग्रहित फसल एवं अन्य फार्म संसाधनों को पशु/पशुधन व अन्य से बचाने हेतु सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने बाबत ठेका।

1. फार्म संपदा, खड़ी फसल, संग्रहित फसल, पेड, चल-अचल संपत्ति एवं अन्य संसाधनों को पशु/पशुधन एवं अन्य से होने वाले नुकसान को रोकने हेतु "जो जहाँ है, जैसे है के आधार पर" चौबीस घंटे सातों दिन सुरक्षा हेतु मानव संसाधन की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत निविदादाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। करार की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक साल तक होगी।

2. निविदादाता निविदा के नियम एवं शर्तों की प्रति निविदा शुल्क रु 500/- का भुगतान कर फार्म के सुरक्षा विभाग से किसी भी कार्य दिवस के दिन दिनांक 07.04.2018 (10:00 AM) से 27.04.2018 (05:00 PM) तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म निगम की बेवसाईट(website) [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। website से download किए गए निविदा फार्म के साथ निविदा फार्म शुल्क के रूप में रु 500/- (Non-refundable) की डी.डी. जो National Seeds Corporation Ltd. Sardargarh, payable at Suratgarh लगाना आवश्यक है।

3. निविदादाता भरी हुई निविदा दिनांक 28.04.2018 को समय 11:00 AM तक Online जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निर्धारित तिथि दिनांक 28.04.2018 एवं समय 11 AM तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बीड़ उसी दिन दोपहर 12:00 बजे खोली जायेगी तथा तकनीकी रूप से वैध पाई गई निविदादाताओं की वित्तीय बीड़ सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरांत उत्तरोत्तर खोली जायेगी।

4. निविदादाता पार्टियों के पास सरकारी/अर्धसरकारी/सरकारी उपक्रम/स्वायत संस्था में संतोषजनक सुरक्षा कार्य हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव या गैर सरकारी फार्म में कम से कम 500 एकड़(पांच सौ एकड़) क्षेत्र में संतोषजनक सुरक्षागार्ड को उपलब्ध कराने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक है। इस बाबत पार्टियों को संबंधित संस्था द्वारा संतोषजनक कार्य पूर्ण करने संबंधी जारी प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है।

5. पार्टियों को तकनीकी निविदा के साथ इनकम टैक्स रिटर्न, फर्म पंजीकरण, सर्विस टैक्स संख्या, जी.एस.टी. संख्या, ईपीएफ पंजीकरण संख्या, ईएसआई पंजीकरण संख्या (यदि लागू हो तो) पैन कार्ड संख्या, चरित्र प्रमाण पत्र, लेबर लाइसेंस पूर्व में कराये गये कार्य हेतु(यदि कोई हो तो) एवं PSA License की प्रति, वार्षिक टर्न ओवर 50 लाख हेतु Balance sheet की प्रति वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 के लिये एवं दो पासपोर्ट साईज फोटो लगाना आवश्यक है। साथ ही, पार्टी को एक शपथ पत्र सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि उनकी फर्म को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। यदि किसी पार्टी के पास लेबर विभाग में फर्म का पंजीकरण कराये जाने/ कराने की प्रति एवं PSA License नहीं हैं, तो उन्हें इस बाबत रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर undertaking (duly notorized) देनी होगी कि वे labour License/PSRA License की प्रति ऑफर जारी होने के 03 माह के अंदर जमा करा देंगे, जमा न कराने की स्थिति में फार्म प्रबंधन पार्टी द्वारा जमा कराई गई अमानत/प्रतिभूति राशि जब्त करने के साथ-साथ उनका ठेका रद्द कर सकता है।

6. निविदा के नियम एवं शर्तों की स्वीकारोक्ति हेतु पार्टी को नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है तथा उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी निविदा के साथ जमा किए गए दस्तावेज उनके द्वारा स्व-सत्यापित हैं।
7. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी) रू 50000/- (रूपये पचास हजार मात्र) प्रति खण्ड, का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि **National Seeds Corporation Limited, Sardargarh, payable at Suratgarh** तकनीकी निविदा के साथ जमा कराना अनिवार्य है। धरोहर राशि के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
8. एक पार्टी को केवल एक ही खण्ड का ठेका दिया जाएगा।
9. सफल निविदादाता को प्रत्येक खण्ड के सुरक्षा ठेके के लिए रू 2,50,000/- (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) प्रति खण्ड (धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि मिलाकर) जमा कराना होगा। सफल निविदादाता द्वारा निविदा के साथ जमा कराई गई धरोहर राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दी जाएगी, जो संतोषजनक रूप से ठेके की अवधि समाप्त होने पर ब्याज मुक्त रूप से पार्टी को वापस की जायेगी।
10. धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल निविदादाता को उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि निश्चित अवधि के अंदर उनके लिखित अनुरोध पर चेक/एन.ई.एफ.टी. द्वारा उत्तरोत्तर वापस की जायेगी। L-1 पार्टी/सफल निविदादाता द्वारा किसी भी कारणवश निविदा से नाम वापस लेने की स्थिति में पार्टी को अमानत राशि वापस नहीं की जायेगी।
11. निविदा में भाग लेने वाली पार्टियों का वार्षिक टर्न ओवर 50 लाख (वर्ष 2015-16, 2016-17) होना आवश्यक है। इस बाबत ठेकेदार को **auditor** द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं बैलेंस शीट/annual return की प्रति लगाना आवश्यक है।
12. ठेकेदार एवं उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति पर्यावरण, जलीय-थलीय जीव जन्तुओं, जंगली जानवरों, मोर, तीतर आदि पक्षियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करेंगे, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचायेंगे और न ही पहुँचाने देंगे।
13. ठेकेदार किसी भी प्रकार के फार्म उत्पाद जैसे पेड़-पौधे लकड़ी, दवा, रासायनिक खाद, डीजल, फार्म की मिट्टी आदि बिना गेट पास व पर्याप्त कागजात के बाहर नहीं ले जाने देगा और न खुद ले जायेगा। ठेकेदार फार्म के संसाधनों को नुकसान से बचाने हेतु सख्त/सुदृढ़ व्यवस्था रखेगा। ऐसे किसी भी शिकायत के प्रमाणित होने पर, ठेकेदार उक्त हानि के लिए फार्म को क्षतिपूर्ति करेगा।
14. यदि ठेकेदार आवंटित फार्म के क्षेत्र में संदिग्ध अपराधिक व्यक्तियों, वाहनों के प्रवेश को पूर्ण प्रतिबंधित करेगा फिर भी यदि आवंटित क्षेत्र में किसी प्रकार की अवांछनीय घटना घटित होती है तो इसके लिए ठेकेदार पूर्ण उत्तरदायी होगा।
15. ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि पशुधन द्वारा अवैध/जबरदस्ती नाली पानी को न तोड़ना/बंधे को नुकसान से बचाना व अवैध चराई और चोरी रोकना एवं अन्य से फसल/फार्म संपदा को कोई नुकसान न हो।
16. ठेकेदार को फसल व फार्म संपदा को बचाने हेतु विभिन्न चको/पॉइन्टों/संवेदनशील पॉइन्टों इत्यादि जिनकी जानकारी समय-समय पर फार्म प्रबंधन द्वारा दी जायेगी पर आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगे। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ भी उसके सुरक्षा गार्ड तैनात हैं वहाँ दूसरा सुरक्षा गार्ड आने के बाद ही पहला सुरक्षा गार्ड चक/पॉइन्ट से जायेगा। ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करेंगे तथा वे फार्म अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

17. सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का ठेका उसी पार्टी को दिया जाएगा जिसका चाल-चलन सही हो तथा वे निगम की काली सूची में न हो। ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति से संबंधित पार्टी को ठेका नहीं दिया जायेगा, जैसे उनकी पत्नी/पुत्र व अन्य नजदीकी रिश्तेदार इत्यादि।
18. ठेकेदार किसी भी फार्म कर्मचारी का रिश्तेदार या सम्बन्धी नहीं होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड किसी भी फार्म अधिकारी/कर्मचारी व कार्य कर रहे अन्य ठेकेदार से किसी भी प्रकार का विवाद/झगड़ा इत्यादि नहीं करेंगे। कोई विवाद होने पर इसकी रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी/फार्म प्रबंधन को देंगे।
19. कार्य आदेश जारी होने के पश्चात ठेकेदार स्वयं भी फार्म से संबंधित खण्ड/ईकाई में उपस्थित रहेगा। ठेकेदार किसी भी दशा में ठेके को किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म को किराये पर नहीं देगा अर्थात् **Sub-letting** नहीं करेगा। ठेकेदार प्रतिदिन फार्म प्रबंधन/सुरक्षा अधिकारी से मिलकर उन्हें फार्म की फसलों तथा फार्म सम्पदा को बचाने हेतु लगाए गए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था से अवगत करायेगा तथा इस बाबत प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा। निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में फार्म प्रबंधक उनका ठेका रद्द करने के साथ-साथ उनके द्वारा जमा की गई धरोहर/प्रतिभूति राशि भी जब्त की जा सकती है।
20. ठेकेदार किसी भी प्रकार के बाहरी विवाद/झगड़ा/संसाधनों की बर्बादी व चोरी होने की रिपोर्ट स्वयं पुलिस थाने में करेगा। इस प्रकार के किसी भी विवाद की स्थिति में खर्च का वहन स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा इस संबंध में फार्म कोई भी खर्च वहन नहीं करेगा।
21. सुरक्षा गार्ड तैनाती हेतु फार्म ठेकेदार को किसी भी प्रकार का वाहन व संसाधन उपलब्ध नहीं करवायेगा। ठेकेदार को इन सभी संसाधनों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा इस मद में आने वाले खर्च का वहन ठेकेदार को स्वयं करना होगा।
22. ठेकेदार से प्राप्त सुव्यवस्थित बिल का भुगतान समाप्त हुए माह के लिए क्रमशः अगले महीने में चेक द्वारा किया जायेगा। ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसने लगाये गये सुरक्षा गार्ड से संबंधित ई.पी.एफ., ई.एस.आई., सेवा कर व जी.एस.टी. इत्यादि का भुगतान कर दिया है तथा उन्हें इस बाबत दस्तावेज लगाने होंगे। किसी भी प्रकार का टैक्स जो नियमान्तर्गत देय होगा ठेकेदार के मासिक बिल से काटा जायेगा। ठेकेदार को पैन कार्ड की एक छायाप्रति लेखा शाखा को भी देनी होगी।
23. ठेकेदार को राजस्थान में लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 सहित सभी श्रम कानूनों का पालन करना होगा। स्वयं उसकी व उसके द्वारा नियोजित किसी भी सुरक्षा गार्ड की दुर्घटना की स्थिति में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संबंध में फार्म प्रबंधन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जो भी वैधानिक प्रावधान लागू होंगे उसकी अनुपालना की पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।
24. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व रु 100/- (रुपये सौ मात्र ) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त शर्तों को शामिल करते हुए केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ से लिखित अनुबंध करना होगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी तथा इस मद में आने वाला खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।
25. ठेकेदार फार्म ने सुरक्षा बाबत साप्ताहिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
26. ठेकेदार जो भी सुरक्षा कर्मी रखेगा उनको नियमित रूप से भुगतान करेगा तथा उनकी मासिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी को देगा।
27. यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है या उसके द्वारा करार के नियम एवं शर्तों की अनुपालना नहीं की जाती है तो फार्म प्रबंधन 15 दिन का नोटिस देकर उसका ठेका रद्द कर सकता है तथा वर्तमान ठेका किसी अन्य पार्टी को आवंटित किया जा सकता है। फार्म प्रबंधन ठेका रद्द करने के साथ-साथ ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि को जब्त भी कर सकता है। ठेकेदार को फार्म प्रबंधन द्वारा फार्म संपदा, फसलों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्य करना होगा।

28. ठेकेदार का कार्य संपोषप्रद/अच्छा पाये जाने की अवस्था में फार्म प्रबंधन आवश्यकतानुसार ठेके की अवधि को वार्षिक आधार पर बढ़ा सकता है।
29. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि फसल कटाई के पश्चात कोई पशु फार्म क्षेत्र में बिना चराई परमिट के न आए तथा अवांछित चराई न हो अन्यथा उसके नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
30. ठेकेदार को संबंधित चक की चल-अचल सम्पत्ति जैसे खड़े पेड़ों एवं अन्य फार्म सम्पत्ति, " जो जहाँ हो" के अनुसार रात्रि व दिन में उनकी सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड को लगाना होगा। 24 घंटे सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
31. ठेकेदार सुरक्षागार्ड को सीटी, लाठी, टार्च एवं अन्य जरूरी संसाधन जो फार्म संसाधनों एवं सम्पदा को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी होगा, उपलब्ध करायेगा।
32. ठेकेदार फार्म पर किसी भी अवांछित सुरक्षा गार्ड को कार्य पर नहीं लगायेगा, जिससे कि फार्म का अहित हो या उसे सरकार द्वारा प्रतिबंधित घोषित किया गया हो या वह सुरक्षा गार्ड फार्म अधिकारी/कर्मचारी से द्वेष रखता हो।
33. फार्म संपदा, फसल एवं इसकी चल अचल संपत्ति के नुकसान की स्थिति में उसकी भरपाई ठेकेदार के मासिक बिल/उनके द्वारा जमा किया गया अमानत राशि व प्रतिभूति राशि से की जाएगी।
34. ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा अधिक से अधिक 50 वर्ष होनी चाहिए। ठेकेदार को फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड की जानकारी फार्म प्रबंधन को देनी होगी।
35. ठेकेदार फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित न्यूनतम वेतनमान मासिक/साप्ताहिक आधार पर निर्धारित समय में देगा तथा फार्म इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि ठेकेदार उन्हें न्यूनतम वेतनमान मासिक/साप्ताहिक वेतन देने में असफल रहता है तो फार्म प्रबंधन सुरक्षा गार्ड को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए मजदूरी का भुगतान राजस्थान राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी के आधार पर करेगा तथा इस मद में आने वाले खर्च की वसूली ठेकेदार को देय बिल/उसकी अमानत राशि व प्रतिभूति राशि से की जाएगी।
36. ठेकेदार इस बात के लिए भी उत्तरदायी होगा कि वह फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान करेगा तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की पालना के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
37. किसी भी संगठन, ट्रेड यूनियन की हड़ताल या भीड़ द्वारा उत्पात की स्थिति में ठेकेदार अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली फार्म संपदा/फसलों को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की ही होगी।
38. यदि ठेकेदार ठेका का कार्य बीच में छोड़ता है या इस करार के किसी नियम अथवा शर्तों का उल्लंघन करता है तो फार्म को इस करार को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।
39. इस अनुबंध से संबंधित किसी विवाद, झगड़े या मतभेद की स्थिति को दोनों पक्ष पारस्परिक विचार-विमर्श से सुलझाने का प्रयास करेंगे। यद्यपि विवाद नहीं सुलझाने की स्थिति में, इस करार से संबंधित पक्षकार के आग्रह पर उसके उल्लंघन से संबंधित इस प्रकार के झगड़ों, विवादों, मतभेदों या दावों को समय-समय पर संशोधित माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त पंच द्वारा सुलझाया जाएगा। माध्यस्थम् का स्थान सूरतगढ़ होगा तथा इसके संबंधित किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय हेतु सूरतगढ़ क्षेत्र ही मान्य होगा।
40. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक(फार्म) के पास सुरक्षित रहेगा। फार्म निदेशक के पास यह अधिकार भी सुरक्षित रहेगा कि वे बिना कोई कारण बताये ठेकेदार का ठेका उसे 15 दिनों का नोटिस देकर रद्द कर सकते हैं।

**केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़  
वित्तिय निविदा प्रपत्र**

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक: सी. एस. एफ./सर./08/सुरक्षा/2019-19

दिनांक .....

निविदा भेजने हेतु पता:-

फार्म प्रमुख  
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़  
जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

निविदा खोलने की दिनांक 28.04.2018

विषय:- केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में उपरोक्त निविदा विज्ञप्ति में सुरक्षा हेतु 1 वर्ष की अवधि निविदा दिनांक 01 जून, 2018 से 31 मई, 2019 तक के लिये ठेके पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता का नाम :-.....
2. पिता/पति का नाम :-.....
3. पूरा पता :-.....  
.....  
.....
4. दूरभाष/मो0 नम्बर :-.....

निविदा राशि प्रस्ताव (टेण्डर ऑफर)

| क्र0सं0 | खण्ड   | सुरक्षा हेतु चकों का विवरण  | कोट की गई राशि रूपये में (सभी कर सहित) |
|---------|--------|---|--|
| 1       | खण्ड 4 | 39 पीबीएन, 40 पीबीएन, 42, 43 पीबीएन, 44 पीबीएन, 45 पीबीएन एवं 46 पीबीएन की फसलों व चल अचल सम्पति की सुरक्षा हेतु                  |  |
| 2       | खण्ड 5 | 47 ए, 47 बी, 49 ए, 49 बी, 51 ए, 51 बी, ग्रीन हाउस, बाग, 48 पीबीएन, 50 पीबीएन, 52 पीबीएन, की फसलों व चल अचल सम्पति की सुरक्षा हेतु |  |

मैं/हम यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि उपरोक्त निविदा से संबंधित समस्त नियम एवं शर्तों कि प्रति जो तकनीकी बीड के साथ जमा है तथा जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं तथा उन नियम एवं शर्तों को पढ़ व समझ लिया है। मुझे/हमें सभी शर्तें मान्य है।

हस्ताक्षर.....  
निविदादाता का नाम.....  
संपूर्ण पता.....  
.....  
.....  
दूरभाष संख्या.....  
ईमेल.....

